

माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक-15.05.2026 को राजस्व संबंधी विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

बैठक के प्रारंभ में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा माननीय विभागीय मंत्री का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय विभागीय मंत्री द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित निदेश दिये गए।

1. बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध की जा रही अनुशासनिक कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए। संचालन पदाधिकारी द्वारा समय पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 15

2. मेला से संबंधित व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मानक विहित प्रपत्र तैयार कर जिले से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आवश्यक राशि की कटौती का पालन किया जा रहा है कि नहीं एवं तुलनात्मक दर लिया गया है कि नहीं ?

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09

3. मेला के लिए किसी भी तरह की राशि की अधियाचना तीन माह पूर्व भेजना आवश्यक होगा। यदि अधियाचना ससमय प्राप्त नहीं होती है, तो विभाग द्वारा राशि निर्गत नहीं की जाएगी। मेला के लिए आवंटित राशि के व्यय का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाए। इस आशय का पत्र समाहर्ता को प्रेषित किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में म्यूटेशन करते समय SMS के माध्यम से रैयत को सूचना दिए जाने की सुविधा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तर्ज पर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग से इस आशय का अनुरोध किया जाए कि निबंधन आवेदन होने पर SMS के माध्यम से रैयत को सूचना चली जाए ताकि जमीन की फर्जी बिक्री पर रोक लग सके।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09

5. राजस्व महा-अभियान के दौरान कुल प्राप्त 46 लाख आवेदनों में से अबतक मात्र 81 प्रतिशत आवेदनों को अपलोड किया गया है। शेष आवेदनों को 31 मई, 2026 तक अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समय-सारणी तैयार कर प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09A

6. परिमार्जन प्लस के तहत जमाबंदी सुधार के 6.6 लाख लंबित आवेदनों का 30 जून, 2026 तक निष्पादन सुनिश्चित किया जाए ताकि Agristack अभियान के तहत Farmer Registry का लक्ष्य पूरा हो सके।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09

7. जिन रैयतों द्वारा भू-लगान जमा नहीं किया जा रहा है, उनकी सूची तैयार कर हैं SMS के माध्यम सूचित करते हुए भू-लगान जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लगान जमा नहीं करने वाले रैयतों को कब से SMS भेजा जाना प्रारंभ किया गया एवं कितने रैयतों को SMS भेजा गया, उसकी संचिका तैयार कर उपस्थापित की जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 09 एवं आई0टी0 मैनेजर

8. माननीय विभागीय मंत्री द्वारा बताया गया कि ई-मापी के 48 हजार लंबित मामलों पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिंता जाहिर की गई है। मापी के कारण विवाद बढ़ता है जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। आउटसोर्स के माध्यम से योग्यताधारी कर्मियों की सेवाएं प्राप्त कर मापी के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। विवादित मामला जो न्यायालय में लंबित है, उसकी मापी कराना न्यायोचित है कि नहीं, इसपर सुझाव प्राप्त किया जाए।

अनुपालन- वरीय प्रभारी प्रशाखा- 07

9. भू-अभिलेख के कितने पृष्ठ स्कैनिंग हेतु शेष है, उसकी अपर समाहर्ता से समीक्षा करते हुए स्कैनिंग कार्य पूर्ण कराया जाए। साथ ही CS सर्वे के 08 हजार गाँव के जो रिकॉर्ड नक्शा/खतियान अनुपलब्ध हैं, उसके लिए पब्लिक डोमेन में प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कर आम जनता से प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

अनुपालन- भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव,


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार,  
पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-10/सम0/(बैठक कार्यवाही)-11/2026-.....613.....(10)/रा0, दिनांक-22/05/2026

प्रतिलिपि :-सभी निदेशक/सभी अपर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
22.5.26

(देवेश कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक-10/सम0/(बैठक कार्यवाही)-11/2026-.....613.....(10)/रा0, दिनांक-22/05/2026

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
22.5.26

(देवेश कुमार)

उप सचिव।